प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर वर्ष 2023
प्र0इ0रि0 सं0 .....298/2023.....दिनांक....26/11/2023....
(I) *अधिनियम ... धाराये. 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018)
(II) *अधिनियम.....धारायें .... 120 बी भादसं.
(III) *अधिनियम .....धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....507.... समय . 6:30 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन -शुक्रवार दिनांक 24.11.2023 समय 05:40 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 31.10.23 समय -02:30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल:- प्रताप नगर पुलिया के पास, प्रताप नगर, उदयपुर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- दक्षिण/पश्चिम दिशा / करीब 400 कि0मी0
(ब) पता :
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम:- श्री सुनील पाटिल
(ब) पिता/पति का नाम - श्री मारूती पाटील
(स) जन्म तिथि/वर्ष .....50 वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय . प्राईवेट कार्य
(ल) पता - सी/5, बसेरा काम्पलेक्स, आमली सीलवासा, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीव मकान नं. 713, बासबदनपुरा, इमाम चौक, जयपुर

सपरिवादी- श्री हेमन्त झा पुत्र श्री जगदीश झा, उम्र 48 वर्ष, निवासी फ्लेट नं. जे/10, प्रमुख विहार, फेज-4, नरोली रोड़, सिलवासा, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीव

7. <u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :-
1. श्री सौरभ पुत्र श्री सुरेश, जाति मीणा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम नारहेड़ा, थाना कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान हाल फ्लैट नं. 406, आरची ग्लैक्सी, देबारी, उदयपुर
2. श्री सुरेश कुमार मीना, पुलिस उप निरीक्षक, थानाधिकारी थाना फतेह नगर, जिला उदयपुर।
3. श्री महावीर हैड कानि. 1491 पुलिस थाना डबोक, जिला उदयपुर व अन्य

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,05,000 रूपये तथा डमी नोट 2,45,000 रूपये (कुल 4,50,000/-रूपये रिश्वती राशि)

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य:- प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,05,000 रूपये तथा डमी नोट 2,45,000 रूपये (कुल 4,50,000/-रूपये रिश्वती राशि)

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 31.10.2023 को परिवादी श्री सुनील पाटिल, पुत्र श्री मारूती पाटील, उम्र 50 वर्ष, निवासी सी/5, बसेरा काम्पलेक्स, आमली सीलवासा, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीव ने ब्यूरो मुख्यालय पर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मै भोलेनाथ इंटरप्राइजेज फर्म का सुपरवाईजर हूं इस फर्म ने शाह पॉलीमर्स फैक्ट्री डबोक उदयपुर में काम ले रखा था। जहां पर इस फर्म का काम श्री हेमंत झा देखते थे। शाह पॉलीमर्स फैक्ट्री में श्री निखिल सिंह रोज विजिट पर आते जाते थे। मैने अगस्त 2023 में फैक्ट्री के बाहर कुछ दूरी से कई बार निखिल सिंह को किन्ही अन्य व्यक्तियों द्वारा संदिग्ध हालात में पैकेट के लेन-देन देखे, जिस पर मैने डबोक थाने में महावीर हैड कानिस्टेबल को मुखबरी करते हुऐ शिकायत की, जिस पर उन्होंने थाने में एफ.आई.आर. नं. 268 दिनांक 14.08.2023 दर्ज की और बजाय दोषियों को पकड़ने के मुझे ओर हेंमत झा परेशान करने लगे महावीरजी ने बताया कि यह मुकदमा पुलिस थाना फतेहनगर उदयपुर में तफ्तीश हो रही है और महावीर, वकील के मार्फत फतेहनगर थाने के ईचार्ज सुरेश मीना के नाम से बतौर रिश्वत के आठ लाख रुपये की मांग हेमंत झा जी से बार-बार कर रहा है। क्योंकि वह हेमंतजी को उस इलाके में काम-काज होने के नाते जानता है तथा रिश्वत ना देने पर इस मुकदमें में उल्टा हमें ही फंसाने की बात कर रहा है। महावीर रिश्वत राशि के लिए हेमंत झा से बात करेगा और उन से ही रुपये लेगा। हम महावीर हैड कानिस्टेबल, श्री सुरेश मीना तथा किसी अन्य को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते हमारा उनसे कोई उधार, लेन-देन नही है व ना ही कोई रजिंश है। हम इनको रिश्वत लेते पकड़वाना चाहते है, प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक व श्री महावीर हैड कानि. द्वारा प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया गया। उक्त शिकायत का दिनांक 31.10.23, 03.11.23 तथा 22.11.2023 को सत्यापन करवाया गया तो शिकायत के दौरान पुलिस थाना डबोक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 268/23 जिसका अनुसंधान श्री सुरेश मीना, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी फतेह नगर, उदयपुर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परिवादी व सहपरिवादी के खिलाफ गलत कार्यवाही नहीं करने की एवज में श्री महावीर प्रसाद हैड कानि. पुलिस थाना डबोक, जिला उदयपुर व श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक द्वारा 08 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील पाटिल तथा सहपरिवादी श्री हेमंत झा ने बताया कि श्री सुरेश मीना थानेदार जी को रिश्वत में दी जाने पूरी राशि की व्यवस्था हमारे पास नहीं हो सकी है, अधिक समय लगाने पर संदिग्ध आरोपीगण को शक हो सकता है। हमारे पास 2,05,000 रुपये की व्यवस्था ही हो पाई है। सहपरिवादी श्री हेमंत झा ने 4,50,000 रुपये का संदिग्ध अधिकारी द्वारा लेने से मान लिये जाने का विश्वास व्यक्त किया, साथ ही सपरिवादी हेमंत झा ने यह भी कहा कि मै 4,50,000 रुपये रिश्वत राशि संदिग्ध अधिकारी को देने के बाद शेष राशि 02-04 दिन में देने के लिए विश्वास में ले लूंगा मेरे को पूर्ण विश्वास है, कि वह इस बात को मान जायेगा और 4,50,000 रुपये रिश्वत राशि में सहमत हो जायेगा। परिवादीगण के पास रिश्वत में दी जाने वाली पूरी राशि की व्यवस्था नहीं हो सकने पर डमी नोटो की व्यवस्था की जाकर दिनांक 24.11.2023 को परिवादी को कहने पर उसने अपने पास से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 410 नोट कुल 2,05,000 रूपये तथा उपलब्ध भारतीय मुद्रा जैसे नजर आने वाले भारतीय मंनोरजन बैंक लिखे हुये 500-500 रूपये के 490 नोट कुल 2,45,000 रूपये के डमी नोट पेश किये। उक्त सभी नोटों पर श्री राजेश भुरिया, हैड कानि. से कार्यालय आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में फिनोफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डालकर उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भलीभांति लगवाया जाकर एक पॉलीथीन की थैली में रखवाये गये तथा पॉलीथीन की थैली पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त नोटों की पॉलीथीन थैली को श्री राजेश भुरिया, हैड कानि. से परिवादीगण की कार के डेस्क बोर्ड में रखवाये गये। इसके बाद गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से मुर्तिब की जाकर मन् उप अधीक्षक

पुलिस नीरज गुरनानी, श्री हरिसिंह कानि. 19, श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक स्वतंत्र गवाहान श्री किशोर कुमार तनेजा सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के एवं पूर्व में सुरक्षित हालात में रखा गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर अपने पास सुरक्षित रखकर ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 पीई 8775 मय चालक श्री मनोज कुमार के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से उदयपुर के लिए रवाना हुये तथा परिवादी श्री सुनील पाटिल तथा सहपरिवादी श्री हेंमत झा को भी उसके निजी वाहन, जिसके डेस्क बोर्ड में रिश्वती राशि भी रखी हुई है, से श्री आलोक शर्मा हैड कानि. 10 व स्वतंत्र गवाहान श्री मदन गोपाल सैनी कनिष्ठ सहायक के साथ उदयपुर के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा इमदाद के लिए श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक एसीबी एसआईयू मय अपने जाब्ते के अलग सरकारी वाहन से उदयपुर के लिए रवाना होकर ट्रेप कार्यवाही हेतु उदयपुर पहुंचे। तत्पश्चात प्रताप नगर पुलिया के पास, उदयपुर से सहपरिवादी श्री हेंमत झा के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर उसके मोबाईल से संदिग्ध श्री सुरेश मीना, उप निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करवाई गई तो श्री सुरेश मीना पुलिस उप निरीक्षक द्वारा रिश्वती राशि लेने के लिए अपने लड़के को सहपरिवादी के पास भिजवाने के लिए कहा गया। इसके बाद सहपरिवादी की संदिग्ध आरोपी से मोबाईल पर हुई वार्ता के आधार पर आरोपी के आने पर ट्रेप जाल बिछाया गया। समय करीब 05:40 पीएम पर सहपरिवादी श्री हेमन्त झा ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकिम ट्रेप पार्टी के सदस्य, परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने साथ लेकर सहपरिवादी के पास पहुंच कर सहपरिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा। सहपरिवादी हेंमत झा ने पास में खड़ी सफेद कार रजि. नं. आर.जे. 35 सी.ए. 1467 में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह सुरेश जी थाना ईचार्ज का लड़का है। इसको मैंने सुरेश जी थाना ईचार्ज के कहने पर पॉलीथीन की थैली में रखे रिश्वती राशि के रुपये दिये है, जिसने मुझसे अभी-अभी रिश्वती राशि डेस्क बोर्ड में रखने का ईशारा करने पर पॉलीथीन की थैली में रखी रिश्वती राशि की पॉलीथीन की थैली चालक सीट के बराबर सीट के नीचे पायदान पर रखी गई है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेपपार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो अपना नाम पता बताने से गुमराह करता रहा। काफी तसल्ली देकर पूछने पर अपना नाम पता सौरभ पुत्र श्री सुरेश, जाति मीणा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम नारहेड़ा, थाना कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान हाल फ्लैट नं. 406, आरची ग्लैक्सी, देबारी, उदयपुर होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री सौरभ को आवश्यक हिदायत देकर सहपरिवादी श्री हेमंत झा से 4,50,000 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री सौरभ ने सहपरिवादी श्री हेमंत झा से कोई रिश्वत राशि नही लेना तथा थैली जबरदस्ती गाड़ी के अन्दर डाला जाना बताया। इसके पश्चात मौके पर मौजूद सहपरिवादी श्री हेमंत झा ने श्री सौरभ के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि श्री सुरेश जी थाना ईचार्ज द्वारा एफआईआर सं. 268/23 में हमें गलत तरीके से नहीं फंसाने की ऐवज में रिश्वत राशि 08 लाख रुपये लेना तय कर आज अपने पुत्र उक्त श्री सौरभ को रिश्वती राशि लेना भेजा था। जिसने मुझसे अभी-अभी प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,05,000 रूपये तथा भारतीय मुद्रा जैसे नजर आने वाले भारतीय मंनोरजन बैक लिखे हुये 2,45,000 रूपये के डमी नोट जो पॉलीथीन की थैली में रखे हुये है उक्त पॉलीथीन की थैली को ईशारे से अपनी कार के पायदान पर रखवाकर प्राप्त की है। इस पर पुन: उक्त रिश्वत के लेन-देन की जानकारी होने के संबंध में पूछा गया तो उक्त श्री सौरभ ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। सहपरिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो उक्त श्री सौरभ व सहपरिवादी की वक्त लेन-देन के समय की वार्ता होना पाई गई। घटनास्थल मुख्य सड़क होने से भीड़ का जमावड़ा व अन्य व्यवधान की संभावना होने के कारण पास में स्थित दी उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैक लि., प्रताप नगर, उदयपुर के कार्यालय पहुंच कर आगामी कार्यवाही शुरू

की गई। इसके बाद कार के पायदान पर पॉलीथीन की थैली में रखी हुई मिली रिश्वती राशि जो पूर्व में स्वंतंत्र गवाह श्री मदन गोपाल सैनी के पास सुरक्षित रखी हुई को दोनों स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 410 नोट कुल 2,05,000 रूपये तथा भारतीय मुद्रा जैसे नजर आने वाले भारतीय मंनोरजन बैंक लिखे हुये 500-500 रूपये के 490 नोट कुल 2,45,000 रूपये के डमी नोट मिले। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 410 नोट कुल 2,05,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उपरोक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 410 नोट तथा भारतीय मुद्रा जैसे नजर आने वाले भारतीय मंनोरजन बैंक लिखे हुये 500-500 रूपये के 490 नोटों को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में से एक नया प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर गिलास को साबुन से अच्छी तरह धुलवाकर एक जग में साफ पानी मगंवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के उक्त गिलास के घोल में कार का पायदान जहां से रिश्वती राशी बरामद हुई थी, उस स्थान को एक साफ कपड़े की चिंदी से पौछकर उस कपड़े की चिंदी को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। जिस प्लास्टिक की पॉलीथीन में रिश्वती राशि रखी हुई थी, उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ''टी'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा कार के पायदान को जिस कपड़े की चिंदी से पौछा गया उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ''सी'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री सौरभ से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया। आरोपी श्री सौरभ को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर दिनांक 24.11.2023 को वक्त रिश्वती लेन-देन सहपरिवादी श्री हेमंत झा व आरोपी सौरभ के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपी श्री सौरभ ने नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिसकी फर्द नमूना आवाज बनाई गई। ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक के कहने पर आरोपी श्री सौरभ मीना द्वारा सहपरिवादी से प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,05,000 रूपये तथा 2,45,000 रूपये के डमी नोट (कुल 4,50,000 रुपये) रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भादस के अपराध से आगाह कर आरोपी श्री सौरभ को हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। आरोपी जामा तलाशी में मिले 02 मोबाईल को शील्ड मोहर कर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सौरभ द्वारा काम में ली जा रही, कार मारुती स्वीफ्ट डिजायर रजि. नं. आर.जे. 35 सी. ए. 1467 जिसके अन्दर पायदान से पॉलीथीन की थैली में रिश्वती राशि रखी हुई बरामद की गई थी। जिसको जरिये फर्द जप्त किया गया। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण के समक्ष निरीक्षण कर सपरिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी के समक्ष रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्ड वाईस क्लिप को सुना जाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर रिकॉर्ड शुदा वार्ता की नियमानुसार पांच डीवीडी में राईट/बर्न की जाकर पांचों डीवीडी पर अलग-अलग डीवीडी मार्क ए-1, ए-2, ए-3, ए-4, ए-5 क्रमशः अंकित किये जाकर तीन सीडियां मार्क ए-1, एवं मार्क ए-2 एवं ए-3 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर शील्ड मोहर की गई तथा सहपरिवादी श्री हेंमत झा व आरोपी सुरेश मीना के मध्य दिनांक 24.11.23 को मोबाईल पर व

आरोपी श्री सौरभ से मोबाईल पर व आमने सामने हुई हुई डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार पांच डीवीडी में बर्न किया जाकर मार्क बी-1, मार्क बी-2, मार्क बी-3, मार्क बी-4, व मार्क बी-5 अंकित किये गये तीन डीवीडी मार्क बी-1, एवं मार्क बी-2 एवं बी-3 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपड़े की थैलियों में रख कर शील्ड मोहर की गई। रिश्वत मांग सत्यापन व लेन-देन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को पृथक से प्लास्टिक कवर में डालकर माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क MC-1 अंकित किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार की गई।

फर्द ट्रांसक्रिप्ट वार्ता में सपरिवादी द्वारा ''आठ लाख रुपया बहुत ज्यादा होता है सर उसमें कुछ कम बेसी कर के इसको खत्म करिये मुकदमा भी'' कहने पर आरोपी श्री महावीर प्रसाद हैड कानि. द्वारा ''आप ऐसा मेरी बात सूणो ना आप वो क्या गिरफ्तार तो कर ही नहीं रहे है। ठीक है सुणो आप उनके साथ चले जाओ झा साहब'' कहा गया, इसके अलावा आरोपी श्री महावीर प्रसाद हैड कानि. द्वारा ''अरे इस फाईल को लम्बे समय मत करो यार झा साहब मेरी बात सुन लो अ जो भी होगा सारी चीजें अच्छी टयूनिंग बैठी हुई है'' ''उनके पास वजन चला जायेगा वजन चले जाने के बाद में वो अपनी बात करेंगे'' सपरिवादी द्वारा ''वकील को बीच में मत रखो साहब फालतू के दो पैसे अपने ही जाते है, हमारे जाते है तो उनको जायेंगे तो बेकार जायेंगे मै उनको यही बात बताऊंगा उनको मै उसको कह दुंगा दोनो चीजे साथ रखेगें की पाटिल और उनको छोड़ो ना आज ही आ रहा है अब क्या इस पिक्चर को ज्यादा लम्बी नहीं करनी है ओर अभी चेनल ठीक है अपना अपना काम हो जायेगा ठीक है ना'' इसी प्रकार आरोपी सुरेश मीना पुलिस उप निरीक्षक द्वारा ''देखो मेरी बात सुनो मै आपको सही बताउं मेरे पास तो वकील और ये आये थे ये वकील है ना ये ये महावीर का आदमी है।'' ''मेरी बात सुन मेरे से करी थी उन्होंने दस लाख में बात और ये पैसे आयेंगे ना ये मेरे नहीं रहेंगे मै आपको और बता देता हूं ये पैसे डबोक एसएचओ उस को पता है ये मामला अगर दबाते है इस मामले को तो इसमें पैसे लेंगे तब ही दबेगा तो डबोक एसएचओ को जायेंगे डिप्टी मैडम के जायेंगे एडिशनल के जायेंगे एसपी के जायेंगे और मेरे से पास भी आयेंगे ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आयेंगे पैसा सारा डिबाइडेशन होता है बटता है असली मुल्जिम को छिपा के और दूसरे मुल्जिम बनाना तो वो पैसा दे की ही मामला सेट होता है तो चार तो एसपी ले एक डिप्टी लेगी एक एसएचओ लेगा एक एडिशनल एसपी ले लिया एक मेरे पास ही आयेगा इसकी उन्होंने क्या गलत बताया आप तो मै बताओ।'' ''कोई बात नहीं में सारी गणित बता दी पुलिस में एनडीपीएस को मामला होता है ना मै सबसे घटिया चीज है में तो ऐसा मानता हूं ऐसा होना ही नहीं चाहिए।'' ''हां तो कर लो ना जाओ आप तो कर के ले आओ पैसे।'' ''खत्म बिल्कुल खत्म आपका कहीं नाम नहीं आयेगा लेकिन किसी को कहना मत ठीक जाओ'' ''है ना ... वो मेरा बेटा है।'' ''वो आ रहा है आपके पास में उसकी गाड़ी में बैठ क'' आरोपी सुरेश का पुत्र सौरभ ''गाड़ी में बैठ जाओ'' ''नहीं गिनना नहीं है'' आदि वार्ताऐं है।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है, कि पुलिस थाना डबोक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 268/23 जिसका अनुसंधान श्री सुरेश मीना, उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी फतेह नगर, उदयपुर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परिवादी व सहपरिवादी के खिलाफ गलत कार्यवाही नही करने की ऐवज में श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक द्वारा श्री महावीर प्रसाद हैड कानि. पुलिस थाना डबोक, जिला उदयपुर व अन्य के मार्फत 08 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग करने पर दिनांक 24.11.2023 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक के कहने पर श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक के पुत्र आरोपी श्री सौरभ मीना द्वारा सहपरिवादी से प्रचलित भारतीय मुद्रा के 2,05,000 रूपये तथा 2,45,000 रूपये के डमी नोट (कुल 4,50,000 रुपये) रिश्वत राशि अपनी कार में रखवाकर प्राप्त की गई, जो कि अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम एवं सपठित धारा 120बी भा.द.सं. के अपराध में प्रथम दृष्टया

प्रमाणित है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत लेन-देन वार्ताओं से प्रकट हुये तथ्यों के अनुसार श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक, श्री महावीर हैड कानि. तथा अन्य के विरुद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 268/23 में परिवादीगण को गलत तरीके से नहीं फंसाने की ऐवज में रिश्वत राशि मांग करना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक तथा श्री महावीर हैड कानि. को कार्यवाही की भनक लगने पर फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है।

अतः आरोपीगण (1) श्री सौरभ पुत्र श्री सुरेश, जाति मीणा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम नारहेड़ा, थाना कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान हाल फ्लैट नं. 406, आरची ग्लैक्सी, देबारी, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) (2) श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक, थानाधिकारी थाना फतेह नगर, जिला उदयपुर (3) श्री महावीर हैड कानि. 1491 पुलिस थाना डबोक, जिला उदयपुर व अन्य के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(नीरज गुरसानी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.दं.सं. में आरोपीगण (1) श्री सौरभ पुत्र श्री सुरेश, निवासी ग्राम नारहेड़ा, पुलिस थाना कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान हाल फ्लैट नं. 406, आरची ग्लैक्सी, देबारी, उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति), (2) श्री सुरेश मीना, पुलिस उप निरीक्षक, थानाधिकारी थाना फतेह नगर, जिला उदयपुर, (3) श्री महावीर हैड कानि. नम्बर 1491 पुलिस थाना डबोक, जिला उदयपुर व अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 298/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

26.11.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 3073-77 दिनांक 26.11.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम जयपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।